(8)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
केम्प इन्दौर (म0प्र0)

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/4022

देवकरण पिता जगन्नाथ, जाति खाती,
निवासी ग्राम खण्डवा, तह. धार .....निगरानीकर्ता

बनाम

1 बुरखीलाल पिता मांगीलाल, जाति खाती,
निवासी ग्राम टिही, तह. महु, जिला इन्दौर
2 सीताबाई पिता पुना, जाति खाती,
निवासी ग्राम खण्डवा, तह. धार
3 राजाराम पिता रामा, जाति खाती,
4 शंकर पिता कवरा, जाति खाती,
5 मदन पिता कवरा, जाति खाती,
6 मोहन पिता कवरा, जाति खाती,
7 पप्पु पिता बद्रीलाल, जाति खाती,
8 धापुबाई बेवा बद्रीलाल, जाति खाती,
9 मुकेश पिता राजाराम, जाति खाती,
10 लखन पिता राजाराम, जाति खाती,
11 कमलाबाई बेवा राजाराम, जाति खाती
12 बाबु पिता फकिरचंद, जाति खाती फोतवारीसान –
अ विष्णु पिता बाबु, जाति खाती,
ब राधेश्याम पिता बाबु, जाति खाती,
स सोरमबाई बेवा बाबु, जाति खाती,.
सभी निवासी ग्राम खण्डवा, तह. धार .....विपक्षीगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

.....2

देवकरण

महोदय,

विपक्षी कमांक 1 व 2 ने तहसीलदार महोदय धार के राजस्व प्रकरण कमांक 59/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 25/03/2015 के विरूद्व अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी धार के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 186/अपील/2015–16 पर दर्ज होकर विपक्षी कमांक 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय में विपक्षी कमांक 12 की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 3 व 4 जा.दी. का प्रस्तुत किया । विपक्षी कमांक 1 व 2 का आवेदन पत्र दिनांक 05/06/2017 को स्वीकार किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/R/व्यार/भू.प्र./2017/4022 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–11–2017	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वरा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदक कमांक 7 के वारिस तहसील न्यायालय में आवेदक के रूप में दर्ज थे, परन्तु अपील में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 व 4 के अन्तर्गत अपील मेमों में संशोधन किये जाने के आदेश दिये गये है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	